Display list

Only S/w Designed & Developed by... NIC

(15

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

16 JUN 2023

क्रमांक 3533/01/2022/चयन   इन्दौर, दिनांक........................

राज्य वन सेवा परीक्षा – 2019

चयन – सूची (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

पदनाम – सहायक वन संरक्षक

आयोग के विज्ञापन क्रमांक **04/2019 दिनांक 14.11.2019** एवं समय–समय पर जारी शुद्धिपत्रादि, सूचनाओं आदि के संदर्भ में **वन विभाग** के अंतर्गत विज्ञापित पद – **सहायक वन संरक्षक** के निम्नांकित तालिका में दर्शित पद विज्ञापित किए गए है। उक्त पदों की पूर्ति के लिए, **राज्य वन सेवा परीक्षा – 2019** अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा उपरांत राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 एवं राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 का आयोजन क्रमशः दिनांक **19.09.2021 एवं विशेष मुख्य परीक्षा दिनांक 19.03.2023 को** आयोजित की गई। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक **31.12.2021 एवं संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम दिनांक 26.04.2023 को** घोषित किया गया। उक्त परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार **दिनांक 29.03.2022 एवं 13.06.2023** आयोजित किए गए है।

2/ आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2019 का परीक्षा परिणाम दिनांक 31.12.2021 घोषित किया, तद्नुसार मुख्य परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार उक्त दिनांक 29.03.2022 को आयोजित किए जाकर साक्षात्कार अंक तालिका सीलबंद लिफाफे में रखे गए। मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 542/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2022 में दिए गए अनुदेश के तहत् समान नीति का पालन करते हुए आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा–2019 के तहत् प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के घोषित परीक्षा परिणामों को निरस्त किया। तत्पश्चात् मान. उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 23828/2022 में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2022 के अनुपालन में राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित पुनरीक्षित परिणाम दिनांक 13.01.2023 को घोषित किया गया। तद्नुसार दिनांक 13.01.2023 के परिणाम में केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 का दिनांक 19.03.2023 को आयोजित की गई जिसका नॉर्मलाईजेशन पश्चात् संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम दिनांक 26.04.2023 को घोषित किया गया।

3/ आयोग द्वारा नॉर्मलाईजेशन पश्चात् संशोधित पुनरीक्षित नवीन परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति कमांक 960/11/2019/अनु–10 दिनांक 26.04.2023 में उल्लेखित पैरा–04 ('' पूर्व में आयोजित राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.09.2021 एवं राज्य वन सेवा विशेष मुख्य परीक्षा–2019 दिनांक 19.03.2023 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों पर विषय–विशेषज्ञों की समिति द्वारा प्रस्तावित नॉर्मलाईजेशन फॉमूले का उपयोग करते हुए संशोधित पुनरीक्षित नवीन लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। इस संशोधित पुनरीक्षित नवीन लिखित परीक्षा परिणाम में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों में से केवल नवीन अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का ही आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा परिणाम में शेष अर्ह अभ्यर्थी जो पूर्व में साक्षात्कार दिनांक 29.03.2023 में सम्मिलित हो चुके है ऐसे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के सीलबंद रखे गए प्राप्तांकों का उपयोग चयन परिणाम तैयार करने हेतु किया जाएगा'') का अनुपालन किया गया।

4/ म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07–46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुपालन में म0प्र0 शासन, वन विभाग के पत्र कमाक 4086/881173/2022/10–1 दिनांक 09.11.2022 के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा जारी शुद्धिपत्र क्रमांक 02/04/2019 दिनांक 16.06.2023 के बिन्दु क्रमांक 02 में वर्णित तालिका अनुसार उपरोक्त विज्ञापन क्रमांक 04/2019 दिनांक 14.11.2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का 87 प्रतिशत मुख्य भाग एवं 13 प्रतिशत प्रावधिक भाग की रिक्तियों का पद विभाजन किया जाकर परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक भाग के रूप में घोषित किया जाना प्रावधानित किया गया है। चयन परिणाम केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) का घोषित किए जाने का प्रावधान है। चूंकि विज्ञापन में विज्ञापित वर्गवार पदों की संख्या एवं उक्त शुद्धिपत्र दिनांक 16.06.2023 मे मुख्य भाग–87 प्रतिशत हेतु पुनरीक्षित रिक्ति विवरण पूर्ववत यथावत है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है तथा प्रावधिक भाग – 13 प्रतिशत में रिक्ति विवरण निरंक होने के परिणामस्वरूप प्रावधिक भाग का पृथक से चयन परिणाम जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5/ अतएव, मुख्य परीक्षा + साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार केवल 87 प्रतिशत पदों (मुख्य भाग) की चयन सूची घोषित की जाती है :–

पद विवरण तालिका (मुख्य भाग – 87 प्रतिशत)

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	योग
कुल पदों की संख्या	2	1	1	1	1	6

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	100004	SAMYAK JAIN	M	EWS	EWS
2	100023	RAHUL SHARMA	M	UNR	UNR
3	100019	RAJDEEP CHAURASIA	M	UNR	OBC
4	100009	LALIT KUMAR PATIDAR	M	OBC	OBC
5	100042	HARSH MEGHWAL	M	SC	SC
6	100016	VIJENDRA SINGH PANDRAM	M	ST	ST

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	100018	ARPIT JAIN	M	EWS
2	100062	AMAR SINGH BHADOURIYA	M	OBC
3	100071	ANKIT SONI	M	OBC
4	100076	NAMIT KUMAR GEDAM	M	SC
5	100072	ABHISHEK SINGH	M	OBC
6	100027	RATNARAJ SINGH THAKUR	M	ST

टीप :–

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिए निर्देशों के तहत् अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत् आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किए गए है जो कि हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किए हो। किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किए बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया जाना प्रावधानित है।

2. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

3. घोषित चयन परिणाम मान. उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019, एस.एल.पी. नम्बर 5817/2023 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(प्रबल सिपाहा)
सचिव
म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर